**प्राथमिकता/समयबद्ध**

**संख्या- 82/2018/3302/33-3-2018-111/2018**

**प्रेषक,**

**राजेन्द्र कुमार तिवारी,**
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**समस्त अपर मुख्य अधिकारी,**
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक: 09 अक्टूबर, 2018**

**विषय:- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायतों को अन्तरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, देवरिया, कुशीनगर एवं महराजगंज द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष विभिन्न वर्षों में ब्याज की धनराशि अर्जित की गयी है। उस ब्याज की धनराशि का उपयोग जिला पंचायत के विकास कार्यों में किये जाने के सम्बन्ध में परामर्श/अनुमति चाही गयी थी।

**2-** इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार को विभिन्न करों/अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि को पंचायती राज संस्थाओं में निश्चित मात्रा में संक्रमित की जाती है। यह मात्राकृत धनराशि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत जिला पंचायतों को उनके निर्धारित अनुपात में अन्तरित किया जाता है। यह धनराशि वास्तव में जिला पंचायतों की होती है, जिसे जिला पंचायतें स्वयं राज्य वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय करती हैं। राज्य वित्त आयोग की धनराशि राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों को संक्रमित की धनराशि है, जिसके ब्याज पर जिला पंचायतों का अधिकार है।

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा जिला पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि पर अधिकार जिला पंचायतों का है। अत: राज्य वित्त आयोग की धनराशि पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अर्जित ब्याज की धनराशि का उपयोग/व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015 दिनांक 19.06.2015 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला पंचायतों द्वारा की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**( राजेन्द्र कुमार तिवारी )**

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या व दिनांकः- तदैव।**

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) उ0प्र0।
5. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
6. अपर मुख्य अधिकारी, महराजगंज को उनके पत्र संख्या-507/जि0पं0म0/2018-19 दिनांक 02.08.2018 के क्रम में इस निर्देश सहित प्रेषित कि राज्य वित्त अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि मु0-1,69,98,426/- का उपभोग उक्त शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर को उनके पत्र संख्या-603/जि0पं0 कुशीनगर दिनांक 18.06.2018 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राज्य वित्त अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के सापेक्ष अर्जित ब्याज की धनराशि मु0-2,69,84,980.00 का उपभोग उक्त शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(जोगेन्द्र प्रसाद)**

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।